सं. बीसी-16014/1/82-एससीएण्डबीसीडी
भारत सरकार, गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 6 अगस्त, 1984

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र
प्रशासनों के मुख्य सचिव।

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रवासियों के दावे के सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र के फार्म में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 18-11-1982 के समसंख्यक पत्र तथा कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 29-10-1977 के पत्र सं. 36012/6/76-एस्टे (एससीटी) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन के लिए अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने पर जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में महसूस हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के फार्म में आगे और संशोधन किया गया है। जाति/जनजाति प्रमाण पत्र का संशोधित फार्म पत्र के साथ संलग्न है। अनुरोध है कि इस संशोधित प्रमाण पत्र के फार्म की प्रति उन सभी सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाय, जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है। संलग्न संशोधित फार्म में उन सक्षम प्राधिकारियों की सूची भी दी गई है, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था। यह सूची कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 8-8-75 के पत्र सं. 13/2/74-एस्टे (एससीटी) के तहत जारी की गई थी।

2. इस मंत्रालय के तारीख 18-11-1982 के समसंख्यक पत्र में जारी किए गए अनुदेश चालू रहेंगे। तथापि यह बात स्पष्ट की जाती है कि

..2/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनका अनु. जाति/अनु. जनजाति का अपना दर्जा बना रहेगा, लेकिन वे अनु. जाति/ अनु. जनजाति की देय रियायतें/लाभ अपने मूल राज्य से पाने के हकदार होंगे, न कि उस राज्य से जहां वे जाकर रहने लगे हैं। सभी सक्षम अधिकारियों को सलाह दी जाए कि वे सभी अनु.जाति/अनु.जनजाति प्रमाण पत्र निर्धारित फार्म में जारी करें और उसके बारे में इन अनुदेशों का भी पालन करें। साथ ही वे प्रमाण पत्र तब जारी किए जाएं जब वे राजस्व रिकार्ड/विश्वसनीय [illegible], आवश्यकतानुसार उचित सत्यापन कर लेने के बाद इस बात से सन्तुष्ट हो जाएं कि प्रमाण पत्र सही है। शक्ति प्राप्त सक्षम प्राधिकारियों की फार्म में दी गई सूची का कड़ाई से पालन किया जाए। अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्राधिकृत न किया जाए।

भवदीय,

(बी. के. सरकार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं. बी सी-16014/1/82-एस सी एंड बी सी डी-1 दिनांक: 6 अगस्त, 19[illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सी जी ओ कम्पलेक्स, ब्लाक नं. 12, लोदी रोड, नई दिल्ली (12 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. सचिव, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
5. अनु. जाति/अनु. जनजाति आयुक्त, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली।
6. सभी अनु.जाति/अनु.जनजाति निदेशक/उप-निदेशक।
7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
8. निर्वाचन आयोग।
9. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

10. लोक उद्यम अधिकरण (उद्योग मंत्रालय)
11. रक्षा मंत्रालय (डी पी एस)
12. सरकारी उपक्रम ब्यूरो (वित्त मंत्रालय)।
13. गृह मंत्रालय (योजना एकक) को संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के लिए।
14. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग स्थापना-एस सी टी, प्रशासन-1, ए आई एस (I) (III), (4), सी एस (I), (II)(III), एस्टेब्लिशमेंट (ए), (बी), (डी), आई ई एस, "कार्यप्रमुख, एवीडी (I) (सी डी (4), ई ओ (ईम एम) तथा सभी डेस्क और अनुभाग।
15. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
16. एस सी एंड सी सी डी प्रभाग के सभी अनुभाग/टी डी प्रभाग, प्रशासन-1 (ए), (बी), II अनुभाग, गृह मंत्रालय।
17. एक प्रति फाइल सं. बी सी-12025/2/76-एससीटी-1 में रखी जाय।

5

(ओ के कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दिवाकर